7 विकास कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने का दायित्व विकास कर्तो का स्वय का होगा।

8 तलपट मानचित्र मे दर्शाया गये भूखण्ड पर भवन निर्माण करने से पूर्व उन के मानचित्र प्राधिकरण से नियमानुसार स्वीकृत कराने होगे।

9 चकरोड एवं नाली की भूमि स्थल पर अभिलेख भू चित्र के अनुसार यथावत्त रहेगी। इसके स्वरूप अथवा उपयोग मे कोई परिर्वतन नही किया जायेगा। प्रश्नगत भूखण्ड क्षेत्रफल पर दर्शाये गये आवासीय तलपट मानचित्र संख्या 175/2017 को इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृति दिये जाने में कोई आपत्ति नही है कि खसरा संख्या 2153 क्षेत्रफल 0.0170 हक्टेयर बंजर को मोके पर पूर्व की भाति सुरक्षित रखा जायेगा व उसका उपयोग तलपट मानचित्र की भूमि में सम्मिलित करके नही किया जायेगा। कृषको अथवा व्यक्तियो को चकरोड का सार्वजनिक उपयोग करने में कोई बाधा विकास कर्ता द्वारा नही डाली जायेगी।

10 तलपट मानचित्र स्वीकृति की वैधता के अन्तर्गत समस्त आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करने होगे एवं विकास प्राधिकरण से सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

11 समस्त पार्क, खुले स्थल,सडक, नाली आदि का निर्माण कार्य पूर्ण कर रेजिडेन्ट वैलफेयर एसोसियेशन/नगर पालिका की (नगर पालिका क्षेत्र घोषित होने पर नगर पालिका को ही) निःशुल्क हस्तांतरित करने होगे।

12 यदि योजना में ट्रंक सेवाओ जैसे रोड कनेक्शन, जल निकासी, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, आदि हेतु कनेक्टिविटी प्राप्त की जाती है तो उस के लिए विकास कर्ता द्वारा शासकीय अभिकरण को समानुपातिक व्यय देना होगा।

13 किसी भी विवाद की स्थिति में उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण का निर्णय ही सर्वमान्य होगा।

14 स्थल पर 125 पेड प्रति हैकटेयर की दर से लगाना होगा।

15 भविष्य में यदि कोई देयता बनती है तो वह विकास कर्ता को देना होगा।

16 आन्तरिक विकास कार्य मूल्य के सम्तुल्य 1 प्रतिशत लेवर सैस देय होगा।

प्रस्तुत तलपट मानचित्र संख्या 175/2017 में बाह्य विकास शुल्क **रू0 1,53,65,056.00** व निरीक्षण शुल्क **रू0 4,99,365.00** तथा शेल्टर शुल्क **रू0 77,748,00.00,** इस प्रकार कुल धनराशि **रू0 2,36,39221.00 (दो करोड छत्तीस लाख उन्तालीस हजार दो सौ इक्कीस रू0)** प्राधिकरण कोष मे जमा कराने का कष्ट करे तथा प्राधिकरण से डवलपमेन्ट अनुबन्ध करने की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी,

कार्यालय मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर

मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर

website: www.mdamuzffarnagar.com & Email : mda@yahoo.co.in

पत्रांकः 175/2017मु0वि0प्रा0/2017 दिनांकः 29.7.17

सेवा में

वसुन्धरा इन्फ्राबिल्ड प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर
श्री अमित कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र पाल सिंह
वसुन्धरा रेजीडेन्सी ग्राम सुजडू
परिक्रमा मार्ग, मुजफ्फरनगर।

विषयः तलपट मानचित्र संख्या 175/2017 में धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि आप द्वारा प्रस्तुत तलपट मानचित्र संख्या 175/2017 में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 26.07.2017 को सशर्त स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके क्रम में वांछित धनराशि जमा होने के उपरान्त मानचित्र निर्गत किया जायेगा। जमा होने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत् है–

1	बाह्मय विकास शुल्क	=	रू0 1,53,65,056.00
2	निरीक्षण शुल्क	=	रू0 4,99,365.00
3	शेल्टर फीस	=	रू0 77,74,800.00
	कुल धनराशि	**=**	**रू0 2,36,39,221.00**

शर्ते –

1 भू–स्वामित्व का समस्त दायित्व आप का होगा।

2 रेनवाटर हार्वेस्टिग एवं एस0टी0पी0 ट्रीटमेन्ट होने के बाद सिचाई कार्यो में इस्तेमाल होने के उपरान्त सरप्लस पानी को नाले तक डिस्पोजल स्वंय के हर्जे खर्चे पर कराना होगा। इस हेतु शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

3 आन्तरिक विकास की लागत के समतुल्य राशि (पी0डब्लू0डी0) की नवीनतम एस0ओ0आर0 पर (आधारित) के बराबर कीमत के भूखण्ड विकास प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक रखने होगे अथवा बैक गारंन्टी देय होगी।

4 आन्तरिक विकास कार्य अनुमोदित तलपट मानचित्र के अनुरूप मानको के अनुसार करने होगे।

5 विद्युत सम्बन्धी समस्त कार्य पूर्ण कर उन्हे विद्युत विभाग को हस्तगत कराना होगा। विकास कार्य पूर्ण कर एवं विद्युत कार्यो को विद्युत विभाग को हस्तगंत करने के उपरान्त ही अन्तिम स्वीकृति तलपट मानचित्र पर देय होगी।

6 विद्युत विभाग द्वारा ट्रासफार्मर आदि स्थापित करने हेतु आप को भूमि निःशुल्क देनी होगी।